न्यायालय न्यायिक मजि०भोगनीपुर, कानपुर देहात ।

मु०नं०- **272/2016**

सरकार बनाम **अमित उर्फ मनोज उर्फ हीरो** आदि।

धारा ४९८ए,३२३ भा०द०सं०व ३/४ डी पी ऐ०

थाना भोगनीपुर, कानपुर देहात ।

आरोप

मैं न्यायिक मजि० भोगनीपुर,कानपुर देहात आप **अमित उर्फ मनोज उर्फ हीरो,खुशीलाल,सोनीदेवी,,आकाश** को निम्नवत आरोपित करता हूं ।

प्रथमतः यह कि दिनांक ०१.५.१२ को समय अज्ञात वहद स्थान जगम्मनपुर थाना बरौर , कानपुर देहात के अन्तगर्त आप ने सामान्य आशय की पूति में वादिनी मुकदमा को दहेज की मांग को लेकर मानसिक तथा शारीरिक रूप से प्रताडित करते हुए क्रूरता का व्यवहार किया । इस प्रकार आप ने धारा ४९८ ए भा०द०सं० के अन्तगर्त दण्डनीय अपराध किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयतः यह कि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आप लोगो ने सामान्य आशय की पूति में स्वेच्छया पूवर्क वादिनी मुकदमा को लात घूसो से मार पीट कर साधारण उपहति कारित किया । इस प्रकार आप लोगो ने धारा ३२३ भा० द० के अधीन दण्डनीय अपराध किया। जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान मे है।

तृतीयता -' यह कि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आप लोगो ने सामान्य आशय की पूति में स्वेच्छया पूवर्क वादिनी मुकदमा को गाली गलौज कर अपमानित किया । इस प्रकार आप लोगो ने धारा ५०४ भा० द० के अधीन दण्डनीय अपराध किया। जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान मे है।

चतुर्थता यह कि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आप लोगो ने सामान्य आशय की पूति में स्वेच्छया पूवर्क वादिनी मुकदमा को जान से मारने की धमकी दिया। । इस प्रकार आप लोगो ने धारा ५०६ भा० द० के अधीन दण्डनीय अपराध किया। जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान मे है।

पंचमता- यह कि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आप लोगो ने सामान्य आशय की पूति में स्वेच्छया पूवर्क वादिनी मुकदमा को सदोष पिररोध मे रखा । इस प्रकार आप लोगो ने धारा ३४२भा० द० के अधीन दण्डनीय अपराध किया। जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान मे है।

षष्ठाः- यह कि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आप लोगो ने सामान्य आशय की पूति मे वादिनी मुकमदा से दहेज की मांग की। इस प्रकार आप लोगो ने धारा ३/४ डी पी ऐक्ट के अन्तगर्त दण्डनीय अपराध किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतदद्वारा आप लोगो को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप में आप लेागो का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाए।

दिनांक ३०.३.२०१८

(देवेन्द्र कुमार,द्वितीय)
न्यायिक मजि०भोगगनीपुर
कानपुर देहात ।

उपरोक्त आरोप अभियुक्तगण को पढकर सुनाया व समझाया गया जिसे स्वीकार न करते हुए अभियुक्त गण ने विचारण की माग की ।

दिनांक ३०.३.२०१८

(देवेन्द्र कुमार द्वितीय)
न्यायिक मजि०भोगगनीपुर
कानपुर देहात ।